तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18.12.21	आवली 29/12 कम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारान ..... सेहमत ..... नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः आवली दिनांक 29/12/22 को न्यायालय हाजा में पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
28/1/22	बकलाय ..... 10/3/22 सहायक अभि. कलक्टर उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
10/3/22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी की ओर से कोई उपस्थित। वकील वादी को कई बार आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अतः चार वकील वादी की अदम पैरवी - अदम घजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम है बाद तकमील नम्बर कम है बाद तकमील जिला मजिस्ट्रेट अलवर को सुपुर्द। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)